188

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3808—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—10—2016 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 101/अ—6/2015—16.

.....

नवल किशोर अग्रवाल तनय श्री चिन्तामणि अग्रवाल
निवासी सेवाग्राम वार्ड न0 8 खजुराहो तहसील
राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—रामदयाल प्रजापति तनय श्री गिल्ला प्रजापति
निवासी ग्राम मुढेरी तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
2—छोटेलाल खंगार तनय श्री बंदी खंगार
निवासी ग्राम बमारी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील रघुराजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—10—2016 के

विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक रामदयाल प्रजापति निवासी ग्राम मुडेरी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर की ओर से ग्राम बमारी स्थित भूमि खसरा न0 60/1, 61/2 रकवा कमंशः 1.096, 0.900 है0 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.1.16 के आधार पर संहिता की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अनावेदक के आवेदन पत्र के पूर्व आपत्तिकर्ता नवल किशोर अग्रवाल पिता चिन्तामणि अग्रवाल दिनांक 20.1.16 इस आशय की आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि छोटेलाल खंगार पिता बंदी खंगार द्वारा आवेदित भूमि का प्रथक–प्रथक विकयनामा इकरार 26.10.09, 7.10.10, 15.11.10 किये गये हैं निष्पादन विकय पत्र के आधार पर नामांतरण नहीं किया जावे। आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा स्टाम्प शुल्क की चोरी व शासकीय धन राशि का गवन होने से रजिस्टर्ड विकय पत्र में उल्लेखित भूमि का स्थल निरीक्षण किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता होने के पशचात जांच स्वयं व अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा न करा कर आवेदन निरस्त करने में महान कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आगे अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा भू स्वामित्व की भूमि पर सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना प्रदत्त कोटवार सेवा भूमि व वर्ष 1997 के खसरा में कोटवार सेवा भूमि के स्तीफे की फर्जी प्रविष्टि व राजस्व अभिलेख में कूट रचना की जांच बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ

न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधीनस्थ नयायालय का प्रकरण होने के पश्चात जांच व कार्यवाही न कर आवेदन पत्र निरस्त कर अधिनियम के विरूद्व आदेश पारित करने की महान कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार नायब तहसीलदार चन्द्रनगर का आदेश दिनांक 27.10.16 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विकय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जावे। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील रघुराजनगर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 27.10.16 उचित है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण अभी नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के यहां प्रचलित है वहां पर दिनांक 27.2.17 पेशी नियत थी, और उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर भी प्राप्त है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरनी सारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट हैं कि आपत्तिकर्ता कमांक–1 व 3 द्वारा विकयपत्र इकरार के आधार पर आपत्ति पेश की है तथा अपत्तिकर्ता कमंक 3 द्वारा फर्जी प्रविष्टि की जांच कर नामांतरण आवेदनपत्र निरस्त करने की मांग की गई थी, आपत्तिकर्ता कमांक–1 द्वारा प्रथक प्रथक दिनांक 26.4.16, 21.1.16, 5.3.16, 4.8.16, 5.9.16, 20.10.16 को अलग अलग कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, आपत्ति आवेदन दिनांक 5.9.16 के संबंध में प्रकरण कमांक 120/बी–121/2015–16 द्वारा जांच की जा रही थी, आवेदन निरस्त किये गये थे,

शेष आवेदन पत्र नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के अधिकार क्षेत्र में न होने से निरस्त किये गये थे। आपत्तिकर्ता कमांक 3 के आपत्ति आवेदन विकयपत्र इकरारनामा पर सुनने की अधिकारिता नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के अधिकार क्षेत्र में न होने से निरस्त किया गया था। फर्जी प्रविष्टि की जांच के संबंध में प्रकरण कमांक 120/बी–121/2015–16 प्रचलित होने से आपत्ति आवेदन पत्र दिनांक 27.10.16 निरस्त करने में कोई त्रुटि नायब तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा नहीं की गई है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 101/अ–6/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 27.10.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। प्रकरण में प्रचलित नामांतरण की कार्यवाही का निराकरण शीघ्र किया जावे। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर